3

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

54/2021 | बाज॰अ॰ घीसी v/s कजोडी वगै॰

तारीख पेशी	2021/54 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री वीरेन्द्र सिंह खंगारोत श्री प्रमोद जैन । से 4, 6A-6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
25.11.21	घीसी बनाम कजोड़ी वगैरह प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 जा.दी. पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1से 04 उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर पर सुनवाई की जावें। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01से 04 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में मान्नीय न्यायालय द्वारा बरवक्त लगवायें जानें आवाजें प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी/अभिभाषक उपस्थित नहीं हो सकें और बाद में जब उपस्थित हुए तो पता चला कि न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता भी अन्य कहीं कार्य से गये होने से उपस्थित नहीं हो सके इसलिए अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रकरण में अपीलार्थी की कोई लापरवाही या दुर्वाभावना निहित नहीं है जैसे ही अपीलार्थी को जानकारी हुई यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए दिनांक 04.02.2021 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने विधि सम्मत अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की हैं। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को रेस्टोरेशन किये जाने के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये है। इसलिए प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थनां पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 जा.दी. (बाजदायरी) को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	